भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3741
(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों की मरम्मत

3741. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दरभंगा ज़िले में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित अशोक पेपर मिल से चिकनी होते हुए विदेश्वर स्थान तक की सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सड़क कब तक मरम्मत कर दी जाएगी;
(ग) क्या मंत्रालय के पास दरभंगा ज़िले में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित वेनीपुर मनीगाछी सड़क की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव है जोकि दयनीय स्थिति में है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2006-07 में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, अकरेहा अशोक पेपर मिल-विदेश्वर स्थान एनएच-57 की स्वीकृति दी गई थी और पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अनुसार यह सड़क पांच वर्षीय दैनिक रखरखाव की सीमा से बाहर हो गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, अशोक पेपर मिल-चिकनी होते हुए विदेश्वर स्थान तक की सड़क की मरम्मत का कोई भी प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (घ): पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, वेनीपुर मनीगाछी सड़क की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****